

कायस्थ नगर सेवालय अधिकाणी निजला इंदौर (म.प्र.)

क्रमांक/लेटर/2010/ 2279

इंदौर, दिनांक 30-8-2010

प्रति.

श्रीमत् शेख विश्वामय्य

क.श.सी.श्रीमत् विश्वामय्य

नगराजगढ़ इंदौर (म.प्र.)

विषय - पत्र उपलब्धि नहीं होने के उपरान्त भी वेतन जारी हो रहा है।
मात्र - 32% विवरण।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक/लेटर/2010/ 353 इंदौर, दि. 25-8-2010

सेवालय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में लेटर न लिख वेतन

जारी हो रहा है पत्र उपलब्धि होगा निवृत्तकों को अतः एम नंबर के अंतर्गत
वारिष्ठ कायस्थ ले सम्पत्तियों के अतिरिक्त आपकी सुविधा के लिए

Man
अनुभाष अधिकारी
श्रीमत् विभाग

[Signature]
नगराजगढ़ इंदौर
फोन-2466825

परिशिष्ट - दो

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2010

क्रमांक 1224/1094/बी/सोलह, राज्य शासन द्वारा डॉ० प्रकाश तारे, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कर्मचारी राज्य बीमा क्षय चिकित्सालय, इन्दौर में नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(खेमराज माहौर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग


संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
मध्यप्रदेश

सूचकांक क्रमांक /स्था/दि/2010 / 615
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

इन्दौर, दिनांक 18-8-10

- 1- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, म०प्र०शासन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, श्रम विभाग, भोपाल।
- 3- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 4- प्रभारी विशेषज्ञ, कर्मचारी राज्य बीमा क्षय चिकित्सालय, इन्दौर।
- 5- कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इन्दौर।
- 6- डॉ० प्रकाश तारे, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, इन्दौर।
- 7- संबंधित के व्यक्तिगत लेखा संग्रह हेतु। (क्षय चिकित्सालय)


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग


संचालक 18/8
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं

B. 22 20 2010

परिशिष्ट - तीन

संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था/वि/2010/9827

प्रति,

इन्दौर, दिनांक 02/10/10

क्षय रोग विशेषज्ञ,
कर्मचारी राज्य बीमा क्षय चिकित्सालय,
इन्दौर ।

विषय:- विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी के पद नहीं होने से वेतन भुगतान के संबंध में


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/स्था/वि/10/1426 दिनांक 13.9.010

—00—

उपरोक्त संदर्भ एवं विषय में लेख है कि डॉ० प्रकाश तारे की कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनकी सेवाएं पद सहित राज्य शासन को वापिस लौटाई गई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य शासन (श्रम विभाग) द्वारा उनकी पदस्थापना इस पद पर कर्मचारी राज्य बीमा क्षय चिकित्सालय, इन्दौर में की गई है ।

2/ अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश है कि डॉ० तारे के वेतन आहरण की कार्रवाई क्षय चिकित्सालय से करना सुनिश्चित करे ।


अनुभाग अधिकारी
श्रम विभाग


संचालक
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं